राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 572/2014/भरतपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्री गोवर्धन ऑयल मिल्स, भरतपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री सी. बी. अग्रवाल, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 01/08/2016

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 74/उपा–भरत/2012–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.08.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.06.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 28.06.2012 को वाहन संख्या यू.पी.65/आर–8947 को सारस चौराहा, भरतपुर में चैक किये जाने पर वाहन में **'सरसों तेल'** भरतपुर से रोहताश (बिहार) के लिये परिवहनित किया जा रहा था। माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा इस वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित मैसर्स श्री गोवर्धन ऑयल मिल्स, भरतपुर (प्रत्यर्थी व्यवहारी) का बिल संख्या 078 दिनांक 28.06.2012; नेशनल ट्रांसपोर्ट कम्पनी एण्ड कमीशन एजेंट, भरतपुर की बिल्टी संख्या 305 दिनांक 28.06.2012; उत्तरप्रदेश सरकार का ट्रांजिट डिक्लेरेशन फॉर्म संख्या डी–20120600347555 प्रस्तुत किये गये। सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन में परिवहनित अधिसूचित श्रेणी के माल के साथ घोषणा प्रपत्र वेट–49 नहीं पाये जाने पर वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 54 का उल्लंघन मानते हुए माल को निरूद्ध किया जाकर वाहन चालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी ने उसी दिन जवाब प्रस्तुत

लगातार.....2

करते हुए घोषणा–पत्र वैट–49 संख्या 5810184 प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया कि उक्त दस्तावेज भूलवश व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर ही रह गया, जो कि तुरन्त ही भिजवा दिया गया। उक्त जवाब के साथ व्यवहारी द्वारा फर्म के मुनीम श्री घनश्याम अग्रवाल, कर्मचारी श्री मोहन सिंह एवं वाहन चालक श्री लालसिंह के शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किये गये, जिनमें अंकित किया गया कि वाहन चालक को नो–एंट्री का समय प्रारम्भ होने के कारण जल्दी होने से कर्मचारी श्री मोहनसिंह ने बिल, बिल्टी, इंश्योरेंस पत्र व उत्तरप्रदेश सरकार का घोषणा प्रपत्र तो दे दिया, किन्तु घोषणा प्रपत्र वैट–49 व्यवसाय स्थल पर ही छूट गया, जो ध्यान में आने पर तुरन्त ही वाहन चालक को दे दिया गया। उस समय वाहन को सक्षम अधिकारी द्वारा चैक किया जा रहा था, अतः सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया। सक्षम अधिकारी ने उक्त जवाब एवं घोषणा प्रपत्र को बाद की सोच मानते हुए अस्वीकार करते हुए अस्वीकार किया तथा वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आदेश दिनांक 28.06.2012 पारित करते हुए शास्ति रूपये 3,48,438/– का आरोपण किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2013 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वक्त जांच वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित घोषणा प्रपत्र वेट–49 माल के साथ नहीं पाये जाने पर व्यवहारी के वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 54 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी के जवाब के साथ बाद में प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र वेट–49 को स्वीकार करते हुए सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने में विधिक भूल की गई है। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के साथ राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि माल के साथ बिल, बिल्टी, इंश्योरेंस पत्र व उत्तरप्रदेश सरकार का घोषणा प्रपत्र मौजूद था, जबकि घोषणा–पत्र वैट–49 भूलवश व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर ही रह गया, जो कि चैकिंग के कुछ समय पश्चात ही सक्षम अधिकारी को पेश कर दिया गया। अतः प्रकरण में

लगातार.....3

उनकी किसी प्रकार की करापवंचन की मंशा नहीं थी। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी.पी.मैटल्स (2001) 124 एस.टी.सी. 611;** माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त **38 टैक्स अपडेट 47 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर बनाम मैसर्स एस.वी.एम. ऑयल मिल्स प्रा. लि. भरतपुर; 40 टैक्स अपडेट 68 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, अलवर बनाम मैसर्स गुप्ता आयरन स्टोर, अलवर; 40 टैक्स अपडेट 153 मैसर्स आर.एस.डब्ल्यू.एम. लिमिटेड, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, भीलवाड़ा** तथा **अपील संख्या 1072/2010/जयपुर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, अलवर बनाम मैसर्स चेतन सेल्स एजेन्सी, जयपुर निर्णय दिनांक 25.06.2014** का हवाला देते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 28.06.2012 को वाहन चैक किये जाने पर माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र वेट–49 नहीं पाया गया, जो कि चैकिंग के कुछ समय पश्चात ही सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया तथा वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किये जाने का युक्तियुक्त कारण मय शपथपत्रों के सक्षम अधिकारी को बता दिया गया। प्रकरण में सक्षम अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि जवाब के साथ प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र वैट–49 के सभी कॉलम्स पूर्णतया भरे हुए हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की जांच से इस दस्तावेज को असत्य/बोगस भी प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानकर धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण हेतु पारित किया गया आदेश विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी. पी. मैटल्स [(2001) 124 एस.टी.सी. 611]** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में भी विधिसम्मत नहीं है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है कि वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किये गये दस्तावेज प्रथम उपलब्ध अवसर पर प्रस्तुत कर दिये जाने पर शास्ति का आरोपण अनुचित है।

लगातार.....4

7. उक्त विवेचन के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र वेट–49 को जांच के बाद मिथ्या अथवा असत्य प्रमाणित किये बिना प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित किया जाना अविधिक एवं अनुचित है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं किये जाने से अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

8. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

01/08/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य